

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 28.01.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

***थाना महुली पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6001 द्वारा रोड पार करते समय बाईंक से टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल – पीआरवी 6001 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कटाई चौराहा से कालर द्वारा 01 महिला को रोड पार करते समय बाईंक से टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला (01.कलावती देवी पत्नी चन्द्रभान निवासी रौरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* उ0नि0 श्री मेंवालाल, का0 राम दुलारे यादव, हो0चा0 अनिल पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 158 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 158 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- *जनपद के समस्त थानों द्वारा 72 स्थानों पर 1456 व्यक्तियों को किया गया चेक।*
- *970 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।*
- *27 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।*
- *52 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निरस्तारण कराने के संबंध में जागरूक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 21 स्थानों पर 220 व्यक्तियों को चेक किया गया, 200 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 06 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 104 व्यक्तियों को चेक किया गया, 43 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 215 व्यक्तियों को चेक किया गया, 192 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 13 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 08 स्थानों पर 145 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 91 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 22 स्थानों पर 280 व्यक्तियों को किया गया, 255 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06. थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 180 व्यक्तियों को चेक किया गया, 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक करते हुए 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 80 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 22 व्यक्तियों को चेक किया गया, 19 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 70 स्थानों पर 2118 वाहनों को किया गया चेक।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 78 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों से उत्तरवायी गयी काली फिल्म।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहन पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1023 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्योक्षण में आज दिनांक 28.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित यातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।